कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

e-mail-ecmpgwl@hotmail.com

क्रमांक (6–अ) लाय./2012–13/13 ग्वालियर, दिनांक 10.01.2012

प्रति,

सहायक आबकारी आयुक्त
जिला इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा।

विषयः– वर्ष 2012–13 के लिये बाहरी निर्माता केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–क) एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–ख) लायसेंसों की स्वीकृति/पुर्नस्वीकृति के संबध में।

सन्दर्भः– वाणिज्यिक कर विभाग का पत्र क्रमांक बी–1–51/2011/2/पांच दिनांक 26 दिसम्बर, 2011.

मध्यप्रदेश राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य में स्थापित विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) उत्पादों की विनिर्माता इकाई (डिस्टिलरी, बॉटलरी अथवा ब्रूअरी) के लायसेंस धारक को अपने विदेशी मदिरा उत्पादों को मध्यप्रदेश राज्य में विभागीय नियंत्रण के अधीन संचालित विदेशी मदिरा भाण्डागारों के माध्यम से, विदेशी मदिरा के फुटकर लायसेंसधारकों को विक्रय के लिए प्रारूप एफ.एल.–10–क में एक बाहरी निर्माता केन्द्रीय गोदाम लायसेंस वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत/पुर्नस्वीकृत कराना होगा। जहां देय आयात फीस के अग्रिम भुगतान के उपरान्त, विदेशी मदिरा विनिर्माणी से विदेशी मदिरा परिवहन कर संग्रहित की जा सकेगी।

इसी प्रकार भारत गणराज्य से भिन्न विदेश में मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) उत्पादों के विनिर्माता (डिस्टिलरी, बॉटलरी अथवा ब्रूअरी) लायसेंस धारक अथवा किसी कस्टम बॉण्डेड वेअर हाऊस लायसेंस धारक को अपने विदेशी मदिरा उत्पादों को मध्यप्रदेश राज्य में विभागीय नियंत्रण के अधीन संचालित विदेशी मदिरा भाण्डागारों के माध्यम से, विदेशी मदिरा के फुटकर लायसेंसधारकों को विक्रय के लिए, प्रारूप एफ.एल.–10–ख में एक केन्द्रीय गोदाम लायसेंस वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृत/पुर्नस्वीकृत कराना होगा। जहां देय आयात फीस एवं बोतल फीस के अग्रिम भुगतान के उपरान्त, कस्टम बॉण्डेड वेअर हाऊस से मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा को परिवहन कर संग्रहित किया जा सकेगा।

अतः वर्ष 2012–13 के लिए बाहरी निर्माता केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–क) लायसेंस एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–ख) लायसेंस की स्वीकृति अथवा पुनःस्वीकृति के प्राप्त आवेदनों के संबंध में निम्न प्रक्रिया पालन किया एवं कराया जाये।

1. वर्ष 2012–13 के लिए एफ.एल.–10–क एवं एफ.एल.–10–ख लायसेंसों की देय लायसेंस फीस, **₹ 1,50,000/–** वार्षिक होगी। यदि लायसेंस एक वर्ष से अल्प अवधि के लिए स्वीकृत किया/कराया जाता है, तो भी सम्पूर्ण वर्ष के लिए देय लायसेंस फीस ही जमा करायी जायेगी।

   उपरोक्तानुसार देय लायसेंस फीस जमा किये जाने हेतु आवेदक से बैंक ड्राफ्ट स्वीकार न किया जाये। आवेदक से देय लायसेंस फीस की राशि, संबंधित

कोषालय में मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 में नगद जमा कराई जाकर, मूल चालान तथा कोषालय सत्यापन प्रमाण–पत्र को संलग्न भेजा जाये।

2. एफ.एल.–10–क तथा/अथवा एफ.एल.–10–ख लायसेंस की स्वीकृति हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रोसेसिंग फीस के रूप में आवेदक से राशि, **₹ 2400/–** संबंधित कोषालय में मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 में नगद जमा कराई जाकर, मूल चालान तथा कोषालय सत्यापन प्रमाण पत्र को संलग्न भेजा जाये।

3. वर्ष 2011–12 में स्वीकृत एफ.एल.–10–क/एफ.एल.–10–ख लायसेंस को वर्ष 2012–13 हेतु पुर्नस्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में :–

   3.1 संबंधित लायसेंस के वर्ष 2011–12 के भार साधक अधिकारी से, प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के दिनांक तक पंजीबद्ध अधिक मार्गहानि के प्रकरणों में अधिरोपित की गयी शास्ति की कोई राशि वसूली हेतु अवशेष नहीं है, इस आशय का जारी किया प्रमाण–पत्र मूलतः संलग्न किया जाये।

   3.2 विभागीय नियंत्रण के अधीन संचालित, राज्य के समस्त विदेशी मदिरा गोदामों में पदस्थ भार साधक अधिकारियों से, प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के दिनांक तक, विदेशी मदिरा गोदामों पर आवेदक/संबंधित विदेशी मदिरा विनिर्माता के विदेशी मदिरा उत्पादों के 45/60 दिवस से अधिक अवधि से अविक्रीत संग्रह पर, अधिरोपित की गई शास्ति की कोई राशि वसूली हेतु अवशेष नहीं है, इस आशय का प्रमाण–पत्र, जो विदेशी मदिरा गोदाम के नियंत्रणकर्ता अधिकारी, यथा स्थिति संभागीय उपायुक्त आबकारी अथवा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिसत्यापित किया गया हो, मूलतः संलग्न किया जाये।

4. बाहरी निर्माता केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–क)/मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा, केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–ख) लायसेंस हेतु आवेदक, यदि किसी व्यक्ति से भिन्न फर्म या कम्पनी है, तो निम्नांकित अभिलेखों की मूल अथवा आपके द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न प्रेषित की जाये।

   4.1 संबंधित फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण–पत्र/निगमन प्रमाण–पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

   4.2 फर्म की पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि।

   4.3 फर्म की दशा में रजिस्ट्रार, फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची।

   4.4 संबंधित फर्म/कम्पनी के संचालक मण्डल की ओर से उपरोक्त आशय के **resolution** के साथ, आवेदक के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति।

5. आवेदक यदि वर्ष 2011–12 में एफ.एल.–10–क/एफ.एल.–10–ख लायसेंसी रहा है, तो लायसेंसी द्वारा वर्ष 2011–12 में लायसेंस की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है अथवा उसके द्वारा लायसेंस की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन किया गया है या नहीं किया गया है ? इसका यथास्थिति उल्लेख प्रतिवेदन में अंकित किया जाये।

6. विदेशी मदिरा के विनिर्माता की ओर से इस हेतु अधिकृत किये गये व्यक्ति की ओर से संलग्न **प्रारूप–क में** नोटराईज्ड शपथ पत्र प्राप्त किया जाकर, मूलतः संलग्न किया जाये।

7. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996, लायसेंस की शर्तों एवं आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों व प्रतिबन्धों का सम्यक पालन न करने की दशा में आरोपित की जाने वाली शास्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार की शासन को देय राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिये **₹ 3,00,000/–** (तीन लाख) राशि की किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पक्ष में जारी की गयी बैंक गारन्टी, जिसकी वैधता अवधि कम से कम दिनांक 30 जून 2013 तक हो, प्रतिभूति के रूप में आवेदक से प्राप्त कर, मूलतः प्रकरण/प्रस्ताव के साथ संलग्न भेजी जाये। बैंक गारंटी **₹ 250/–** के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर, **संलग्न प्रारूप–ख** में तैयार की गयी हो, यह सुनिश्चित कराया जाये।

8. भारत निर्मित विदेशी मदिरा के संदर्भ में आवेदक विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) विनिर्माता इकाई के रजिस्टर्ड कार्यालय का पूर्ण पता, स्वीकृत बाहरी निर्माता केन्द्रीय गोदाम पर आयात/परिवहन कर संग्रहित की जाने वाली विदेशी मदिरा के ब्राण्ड व लेबिलों की सूची, विनिर्माणी इकाई का स्थान जहां से उक्त लेबिलों की विदेशी मदिरा लायी जाएगी आवेदन में तथा आपके द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित की गई है, यह सुनिश्चित किया जाये।

9. मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा केन्द्रीय गोदाम में आयातित विदेशी मदिरा के संदर्भ में, आवेदन में तथा आपके द्वारा प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदन में निम्न का उल्लेख अंकित किया जाना सुनिश्चित कराया जाये।

   9.1 विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा के केन्द्रीय गोदाम हेतु आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माणी का नाम, पूर्ण पता एवं विनिर्माणी देश का विवरण।

   9.2 आवेदक कस्टम बॉण्डेड वेयर हाउस लायसेंसधारक होने की दशा में, कस्टम बाण्डेड वेयर हाउस के अद्यतम स्वीकृत लायसेंस की प्रमाणित प्रति।

   9.3 विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा के लिये केन्द्रीय गोदाम में संग्रहित की जाने वाली आयातित विदेशी मदिरा के ब्राण्ड व लेबिलों का विवरण।

   9.4 आयातित विदेशी मदिरा के प्रत्येक लेबिल के एक केस में, बोतलों की संख्या व उसकी धारिता का विवरण।

   9.5 आवेदक संबंधित विदेशी मदिरा विनिर्माणी द्वारा धारित आयात लायसेंस की प्रमाणित प्रति संलग्न कर, उसका पूर्ण विवरण प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित किया जाये।

10. वर्ष 2011–12 के लिए आवेदक को स्वीकृत विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंस/ कस्टम बॉण्डेड वेयर हाउस लायसेंस वर्ष 2012–13 में भी प्रभावी/ चालू रहेगा, इस आशय के उपयुक्त प्रमाण की प्रमाणित प्रति आपके द्वारा सत्यापित की जाकर संलग्न भेजी जाये।

11. आवेदक द्वारा विदेशी मदिरा के भण्डारण हेतु किराये पर लिये गये गोदाम/भवन का कम से कम दिनांक 31.03.2013 तक अथवा उसके बाद की अवधि के लिये वैध किरायानामा, जो नियमानुसार पंजीयन विभाग द्वारा पंजीकृत किया गया हो, की प्रतिलिपि को आपके द्वारा सत्यापित कर संलग्न प्रेषित किया जाये।

12. आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माणी द्वारा एफ.एल.–10क/एफ.एल.–10ख लायसेंस के अन्तर्गत, कार्य संचालन के लिये नियुक्त/अधिकृत किये गये व्यक्ति के संबंध में, स्पष्ट रूप से दिनांक 30 जून 2013 तक की अवधि तक के लिए प्रभावी अधिकार पत्र (पावर ऑफ अटार्नी) की मूल प्रति संलग्न की जाये। इस अधिकार पत्र में अधिकृत किये गये व्यक्ति का छायाचित्र एवं उसके हस्ताक्षर, अधिकार पत्र निष्पादनकर्ता द्वारा प्रमाणित किये गये हों, यह सुनिश्चित किया जाये।

13. आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई द्वारा विदेशी मदिरा के भण्डारण हेतु किराये पर लिया गया भवन, विदेशी मदिरा के भण्डारण हेतु सुरक्षित एवं उपयुक्त है। उसमें प्रभारी अधिकारी के शासकीय कार्य संधारण हेतु मूल सुविधाओं से युक्त कार्यालय परिसर उपलब्ध हैं। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आपके द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न किया जाये।

14. विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाई द्वारा विदेशी मदिरा के भण्डारण हेतु किराये पर लिये गये गोदाम के भवन का नजरी नक्शा मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट) तीन–तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजा जाये। मानचित्र (ब्लू प्रिन्ट) में गोदाम भवन, कार्यालय परिसर व निकास के रास्ते को किसी पृथक स्याही से रेखांकित किया जाकर, इस पर गोदाम की चतुर्सीमा (अंग्रेजी शब्दों में) स्पष्ट अंकित की जाये। इस रेखांकित चतुर्सीमा को आवेदक विदेशी मदिरा विनिर्माता के प्रतिनिधि एवं प्रस्तावित किये गये/संबंधित वर्तमान भारसाधक अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित किया जाकर, इसे आपके द्वारा भी प्रतिप्रमाणित किया जाये।

15. यदि आवेदक वर्ष 2011–12 में एफ.एल.–10क/एफ.एल.–10ख लायसेंस का धारक रहा है, तो उसके द्वारा आवेदन दिनांक के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक की स्थिति में निम्न प्रारूप में होलोग्राम के उपयोग संबंध में निम्न प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करना वांछित है। इसे आवेदक इकाई के प्रतिनिधि एवं नियुक्त किये गये संबंधित भारसाधक अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित किया जाकर, इसे आपके द्वारा भी प्रतिप्रमाणित किया जाये।

विनिर्माणी इकाई का नाम ....

दिनांक................ की स्थिति में वर्ष 2011–12 के लिए होलोग्राम के संग्रह, उपयोग एवं बचत लेखा का पत्रक

क्रम.	दिनांक 01.04.2011 को होलोग्राम का प्रारंभिक स्कंध (संख्या)	वर्ष 2011–12 में प्राप्त होलोग्राम (संख्या)	योग (2+3) (संख्या)	वर्ष 2011–12 में उपयोग में लाए गये होलोग्राम (संख्या)	वर्ष 2011–12 में उपयोग के दौरान अनुपयोगी या नष्ट हुए होलोग्राम (संख्या)	आवेदन दिनांक के पूर्ववर्ती माह के अन्त में शेष बचे होलोग्राम 4–(5+6) (संख्या)	वेस्टेज का प्रतिशत (कॉलम 6 का कॉलम 5 से)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

16. <u>प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना :–</u>

वर्ष 2012–13 के लिए के बाहरी निर्माता केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–क) एवं/अथवा मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–ख) लायसेंस के इच्छुक आवेदक को **संलग्न प्रारूप–ग** में प्रतिरूप करार **(Counterpart agreement)** भी निष्पादित करना होगा। उक्त प्रतिरूप करार **(Counterpart agreement)** निष्पादन एवं अन्य समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही उसे लायसेंस जारी किया जायेगा।

तद्नुसार वर्ष 2012–13 के लिए बाहरी निर्माता केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–क) एवं मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–ख) लायसेंस की स्वीकृति/पुनःस्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन, आपके कार्यालय में प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिनों की अवधि में, उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अधीन वांछित अभिलेख संलग्न करते हुए, स्वीकृति की स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजे जायें।

संलग्नः–
उपरोक्तानुसार

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक (6–अ) लाय./2012–13/ ग्वालियर, दिनांक 10.01.2012

प्रतिलिपिः–

1. अपर आबकारी आयुक्त (तकनीकी/प्रशासन) मुख्यालय।
2. उपायुक्त आबकारी (तकनीकी/प्रशासन) मुख्यालय
3. उपायुक्त आबकारी, स्तरीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता मध्यप्रदेश
5. सहायक आबकारी आयुक्त, मुख्यालय
6. सहायक जिला आबकारी अधिकारी मुख्यालय (आसवनी/रीडर/तकनीकी)
7. निज सचिव, आबकारी आयुक्त, मुख्यालय

की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

प्रारूप–क

शपथ–पत्र

मैं, ... पिता का नाम .... आयु ....वर्ष, निवासी .... शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि–

1. मैं, मेसर्स ....(यहां पर संबंधित विदेशी मदिरा विनिर्माणी लायसेंसी का पूरा विवरण दर्ज किया जाये), की ओर से अधिकार पत्र गृहीता/अधिकृत हस्ताक्षरी हूं।

2. मैं 21 वर्ष से कम आयु का नहीं हूं। मेरी आयु...... वर्ष है।

3. मैं स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राजस्व की राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार नहीं है।

4. मेरा नाम विभाग की काली सूची में सम्मिलित नहीं है।

5. मैं किसी छूत की बीमारी से संक्रमित नहीं हूं।

6. मैं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धारा 478 से 489 के अधीन या मेडिसिनल एण्ड टॉयलेट प्रिपरेशन (एक्साईज ड्यूटी) अधिनियम, 1955 अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 तथा/अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का आरोपी/दोषी नहीं रहा हूं और ऐसे अपराधों के लिये किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हूं।

7. मैं यह घोषित करता हूं कि वर्ष 2012–13 की समाप्ति के पूर्व यदि अपने किसी विदेशी मदिरा (व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, वोदका, जिन, वाइन, ब्रीजर, रेडी टू ड्रिंक तथा बीयर आदि) उत्पाद के लेबिल का आगामी वर्ष 2013–14 के लिये नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तथा/अथवा वर्ष 2012–13 के लिए वर्तमान बाहरी निर्माता केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–क) लायसेंस/मूल में बोतल बन्द **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल.–10–ख) लायसेंस को पुनःस्वीकृत नहीं कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दिनांक 31.03.2013 को विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर संग्रहित यथास्थिति ऐसे लेबिल/सभी लेबिलों की विदेशी मदिरा को, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 तक संबंधित विदेशी मदिरा विनिर्माता इकाई के उत्तरदायित्व पर, विनिर्माणी इकाई में वापिस ले जाया जायेगा। अन्यथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश को यह अधिकार होगा विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर दिनांक 30 अप्रैल 2013 की स्थिति में संग्रहित विदेशी मदिरा स्कन्ध को, मुझ आवेदक/लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर, नष्ट करा दिया जाये। तद्नुसार मुझ आवेदक/लायसेंसी द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जायेगी व इस कार्यवाही पर कोई आपत्ति भी नहीं होगी।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता

::सत्यापन लेख::

मैं, (नाम)... (पिता/पति का नाम) श्री.. शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ के चरण (1) से चरण (7) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता

प्रारूप–ख

BANK GUARANTEE BOND

1. In consideration of the Governor of Madhya Pradesh (hereinafter called "the Government") having agreed to exempt --------------------- ------------ (hereinafter called "the said licensee/contractor(s)") from the demand, under the terms and conditions of the License issued/to be issued for year 2012-13, an agreement dated *(Date of application)* made between --------*(applciant)* and *The Excise Ccommissioner M.P.* (hereinafter called "the said agreement'), of security deposit for the due fulfillment by the said licensee/contractor(s) of the terms and conditions contained in the said licence/agreement, on production of a Bank Guarantee for ₹. 3,00.000/- (Rs. Three lakh only)

   We, ---------------------------- (hereinafter referred (indicate the name of the bank) to as "the Bank") at the request of --------------- licensee/contractor(s) do hereby undertake to pay to the Government an amount not exceeding ₹. 3,00.000/- (Rs. Three lakh) against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Government by reason of any breach by the said licensee/ contractor (s) of any of the terms and conditions contained in the said licence/agreement ....
2. We ---------------------- (indicate the name of the bank) do hereby undertake to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Government by reason of breach by the said licence/agreement(s) of any of the terms or conditions contained in the said licence/agreement or by reason of the licence/agreement(s) failure to perform the said agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our libility under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding ₹. 3,00.000/- (Rs. Three lakh).
3. We, undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the licensee/ contractor(s)/supplier(s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating there to our liability under this present being absolute and unequivocal.

   The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the

licensee/contractor(s)/supplier(s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We ---------------------- (indicate the name of bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement and fulfillment of licence conditions and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said licence/agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till Madhya Pradesh State Excise Department agreement have been fully and properly carried out by the said licensee/contractor(s) and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before the 30-06-2013, we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
5. We, ---------------------------(indicate the name of bank) further agree with the Government that the Government shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said licence/agreement to extend time of performance by the said licensee/ contractor(s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers excercisable by the Government against the said licensee/contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said licence/agreement and we shall not be relieved from our liability by reason or any such variation, or extension being granted to the said licensee/contractor(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said licensee/contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.
6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or licensee/contractor(s)/supplier(s).
7. We, ---------------------- (indicate the name of bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.
8. Dated the------------------------- day of --------------------------- for----- --------------------------(indicate the name of the bank)

COUNTERPART-AGREEMENT

This deed is made on this ....Day of .... 2012. between the Governor of Madhya Pradesh acting through the Excise Commissioner, Madhya Pradesh (hereinafter called the Governor, which Expression shall unless, inconsistent with the subject or context, include his successors in office) of the one part and (hereinafter called the licensee which expression shall, unless inconsistent with the subject or context, include his permitted assigns) of the other part.

Whereas the licence has been granted on .... by the Excise Commissioner, Madhya Pradesh for Out Side Manufacturer Central Godown in form F.L-10-A / F.L.-10-B

Now, therefore, this deed witnesses that-

(1) The licensee shall abide by and carry out all his obligations under the terms and conditions of the said licence.

(2) The licensee shall always maintain a security deposit of ₹. 3,00.000/- (Rs. Three lakh only) with the Excise Commissioner for the due fulfillment of the conditions of the licence.

(3) Any penalty imposed on the licensee under the M.P. Excise Act, 1915, or the rules made thereunder or instructions / orders issued by Excise Commissioner, Madhya Pradesh or any other liability incurred by him under the Act, shall be recoverable by the Governor from his security deposit or any amount due to him or any movable and immovable property belonging to him as an arrear of land revenue, without prejudice to any other legal remedy the State Government may seek for the purpose.

In witness whereof the parties hereto have signed this deed on the date and year respectively mentioned against their signatures.

Witness

Excise Commissioner M.P.
On behalf of the Governor of M.P.

1 ....

2 ....   Date ....

Witness:

1 ....   Licensee
Full name and address

2 ....
....

Date ....